

# FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं. ....  
2022/422

## फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत ..... 37/25 अर्थिकी मुकाम ..... वी.मकायना  
..... वड.सीराम वनाम ..... अर्थिकी  
किरम मुकदमा ..... 20/25 नम्बर ..... 15/2022 वर्ष

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>17/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/11/25 को पेश हो।</p>	
	<p>5/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/11/25 को पेश हो।</p>	
20	<p>1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/12/25 को पेश हो।</p>	
	<p>27/3/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/04/25 को पेश हो।</p>	
	<p>9/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08/5/25 को पेश हो।</p>	
	<p>8/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/5/25 को पेश हो।</p>	
	<p>16/7 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/7/25 को पेश हो।</p>	

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में स्वस्थ  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/11/25  
को पेश दो।

10/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किया गया। पूर्व में काफी अवसर दिये जा चुके हैं। अतः न्यायहित में जवाब देही बन्द की जाती हैं। प्रार्थना पत्र पर बहस वकूलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 14.02.2022 को करवा लिया है। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने की कृपा करें। वकील अप्रार्थीगण ने मौके पर विवाद होने पर पुनः सीमाज्ञान किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 14.02.2022 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 14.02.2022 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि :-

## आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम कैरवाली पटवार हल्का कोटड़ा तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 742 ता 744 कुल किता 03 कुल रकबा 1.24 है0 में प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 14.02.2022 पत्थरगढी

की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी  
राजवीर सिंह यादव  
नीमकाथाना  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)